सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 29, सोमवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 21, *2024*	
Asvina 29, Monday, Saka 1946- October 21, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 16, 2024

जी.एस.आर.61 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित नियमों में की अनुसूची-II में, उनमें से प्रत्येक के सामने स्तंभ 3 में यथोल्लिखित क्रम संख्याक के स्तंभ 2 से 8 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

ड्राइवर	90%	10%	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना	विभाग की चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना	-

			चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2.यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण (ट्रेड टेस्ट) के माध्यम से किया जाना है।		चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2.यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण (ट्रेड टेस्ट) के माध्यम से किया जाना है।	

"

सारणी

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान क्रम संख्यांक
1	2	3
1.	राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,1998	**ग्रुप-क-सामान्य** के अधीन 8
2.	राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,2000	9
3.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	10
4.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	3

[सं. एफ. 2(6)**डीओपी/ए**–2/2021]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 16, 2024

G.S.R.61 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as mentioned in Schedule appended hereto, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Fourth Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule II.- In Schedule-II of the rules as mentioned in column number 2 of the Table given below, the existing entries of column 2 to 8 of serial number as mentioned in column 3 of against each of them shall be substituted by the following, namely:-

"

Driver	90%	10%	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid licence to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have, – 1.Sight 6X6 with or without glasses; and 2.Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing Authority.	Member of Class IV service of the department	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid licence to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have – 1.Sight 6X6 with or without glasses; and 2.Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing Authority.	-

Table

S. No.	Name of the Service Rules	Existing serial number
1	2	3
1.	The Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998	8 under Group A-General
2.	The Rajasthan Devasthan State and Subordinate Service Rules, 2000	9
3.	The Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service Rules, 2001	10
4.	The Rajasthan Miniority Affairs (State and Subordinate) Service Rules, 2017	3

[No.F.2(6)DOP/A-2/2021]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.